<u>न्यायालयः—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म०प्र०)</u> (पीठासीन अधिकारी—धन कुमार कुडोपा)

<u>दांडिक0प्रक0क0-501/08</u> <u>संस्थापित0दि0 19/12/08</u> फाईल0नं.233504000082008

मध्य प्रदेश शासन द्धारा आरक्षी केन्द्र, थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

----अभियोजन

—: विरुद्ध :—

- 1. संतोष पिता मोहन गंगारे, उम्र 43 वर्ष,
- हिर रावत पिता मंशाराम रावत, उम्र 33 वर्ष, दोनों—जाति कुन्बी, पेशा खेती, नि0 पुरानी बोड़खी, थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

---- <u>अभियुक्तगण</u>

<u>—: निर्णय :—</u> (<u>आज दिनांक—21 / 09 / 2016 को घोषित)</u>

- 1— अभियुक्तगण के विरूद्ध भा०दं०वि० की धारा 325, 34 के तहत् अभियोग है कि दिनांक 10/10/08 को शाम करीब 19:30 बजे आरक्षी केन्द्र आमला जिला बैतूल म0प्र0 के अन्तर्गत बोड़खी में आपने एवं सहअभियुक्तगण ने प्रार्थी विजय की उपहित कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में आपने तथा सह अभियुक्तगण ने प्रार्थी विजय को स्वेच्छया घोर उपहित कारित की।
- 2— अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी विजय थाना उपस्थित आकर बताया कि वह बोड़खी चौकी रिपोर्ट करने गया था, परन्तु वहां पर कोई नहीं मिलने से थाना आकर जबानी रिपोर्ट किया कि आज करीबन शाम 7:30 बजे दिनू तोमर के पान ठेले पर गुटका लेने गया था उसके साथ में योगेश, परस्या, गोलन भी थे वापस घर आ रहे थे कि रात में संतोष पवार, हरिरावत वगैरह मिले बिना कारण मारने लगे तो उसके साथ में थे वह भाग गये मारने के डर से, परन्तु उसके इन लोगों ने लठ से मारना चालू कर दिया जो उसके दांहिने हाथ के पंजे दांहिने कंधे पीठ पर पैर पर मारा है दर्द हो रहा है झगडते हुए पार्वती राजा ने देखा है रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही की जावे।
- 3— प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 12 है। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अप0कं0—442/08 कायम कर अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0दं0वि0 धारा—325, 34 के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान नक्शा मौका तैयार किया गया। फरियादी का मेडिकल मुलाहिजा तैयार किया गया। दिनांक 13/12/08 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 08 तैयार कियागया। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। दिनांक 13/12/08 को अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0 9,10

तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

4— अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्तगण का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्तगण ने अपने अभियुक्त परीक्षण में बताया कि वे निर्दोष है उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण ने अभियुक्त कथन के दौरान प्रकरण में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

-: न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :--

1—''क्या दिनांक 10/10/08 को शाम करीब 19:30 बजे आरक्षी केन्द्र आमला जिला बैतूल म0प्र0 के अन्तर्गत बोड़खी में आपने एवं सह—अभियुक्तगण ने प्रार्थी विजय की उपहित कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में आपने तथा सह अभियुक्तगण ने प्रार्थी विजय को स्वेच्छया घोर उपहित कारित की?''

—ः <u>निष्कर्ष एवं उसके आधार</u>ः— विचारणीय प्रश्न क0 1 का निराकरण

6— अभियोजन साक्षी एन०के० रोहित (अ०सा०६) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 10/10/08 को विजय पिता स्वामीदास का परीक्षण किया था जिसमें उसने निम्न चोट पाई थी। चोट नं. 1 दांहिने हाथ की हथेली पर 5 गुना 3 से०मी० आकार की सूजन एवं दर्द पाया गया था इस चोट के लिए उसने एक्सरे की सलाह दी थी। चोट कं. 2 दांहिने कोहनी की जोड़ पर एवं अग्रभुजा पर 6 गुना 3 से०मी० आकार का दर्द एवं सूजन पाया गया था। उसने एक्सरे की सलाह दी थी। उसे पीट कंधे एवं दांहिने हाथ पर दर्द पाया गया था। चोटें कड़े एवं बोथरे हथियार से पहुँचाई गई थी जो कि फेश थी और चोट की प्रकृति एक्सरे के परिणाम पर निर्भर थी। उसकी मेडिकल रिपोर्ट प्र०पी० 6 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। इस गवाह के द्वारा आहत विजय के शरीर में पाई चोट को अपनी साक्ष्य से स्पष्ट रूप से बताया है। उक्त चोट आने के तथ्य को बचाव पक्ष की ओर से प्रश्नगत् नहीं किया गया है। इस प्रकार यही माना जायेगा कि हा तथा दिनांक को आहत विजय के शरीर पर चोटें थी।

7— अभियोजन साक्षी डॉ० ओ०पी० यादव (अ०सा०३) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 13/10/08 को डॉ० रोहित को आहत विजय पिता स्वामीदास, उम्र 30 साल, नि० बोडखी को दांये हाथ और दांये कोहनी के एक्सरे हेतु भेजा था जिसका एक्सरे प्लैट कं. 4067 है। एक्सरे में चौथी मेटा कारपल टूटी हुई थी। उसकी एक्सरे रिपोर्ट प्र०पी० 03 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। इस गवाह के द्वारा आहत विजय के दांहिने हाथ और दांहिनी कोहनी के एक्सरे परीक्षण में चौथी मेटाकारपल टूटी हुई थी, स्पष्ट रूप से बताया है और उक्त अस्थि भंग पाये जाने के तथ्य को बचाव पक्ष की ओर से प्रश्नगत नहीं किया गया है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से स्पष्ट है कि आहत विजय के दांये हाथ और दांहिने कोहनी में चौथी मेटाकारपल में अस्थि भंग होकर घोर उपहित कारित हुई।

8— न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय है कि क्या घटना दिनांक को अभियुक्तगण के द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत विजय को मारपीट कर घोर उपहति कारित की गई।

- 9— अभियोजन साक्षी गोल्डन (अ०सा०1), अभियोजन साक्षी योगेश (अ०सा०2), अभियोजन साक्षी परस्या (अ०सा०4), अभियोजन साक्षी पार्वतीबाई (अ०सा०5), अभियोजन साक्षी भोलाराम (अ०सा०8) है। जबिक उक्त गवाह स्वतंत्र साक्षी है उनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा के तथ्यों से घटना अभियुक्तगण के द्वारा कारित की गई है नहीं बताया गया है और न ही घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन किया है।
- 10— अभियोजन साक्षी कुंवरसिंह ठाकुर (अ०सा०७) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 10.10.08 को प्रार्थी विजय द्वारा थाने में आकर आरोपी संतोष एवं हिर के विरूद्ध रिपोर्ट लेख करवाने पर उसने रिपोर्ट को रोजनामचा सान्हा कं. 389 में दर्ज किया था मूल रोजनामचा सान्हा प्र0पी० ७ है जिसकी प्रतिलिपि प्र0पी० ७ सी उसके द्वारा प्रकरण में संलग्न की गई है। उक्त साक्षी रोजनामचा सान्हा प्र0पी० ७ का गवाह है। प्रकरण में फरियादी विजय अदम पता है उसकी साक्ष्य न्यायालय में पेश नहीं की गई है और घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी एवं स्वतंत्र गवाहों ने घटना का समर्थन नहीं किया है। ऐसी परिस्थिति में इस गवाह के द्वारा रोजनामचा सान्हा प्र0पी० ७ की कार्यवाही के आधार पर घटना अभियुक्तगणों के द्वारा कारित की गई हो, नहीं माना जा सकता।
- 11— अभियोजन साक्षी सत्यप्रकश बाजपेयी (अ०सा०१) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 22/10/08 को फरियादी विजय पिता स्वामीदास नि० बोडखी की रिपोर्ट रोजनामचा सान्हा कं. 389 दिनांक 10/10/08 को दर्ज कर प्रार्थी की एम०एल०सी० अस्पताल आमला से कराई थी जो एक्सरे रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपराध कं0 442/08 धारा 325, 34 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उसके द्वारा की गई थी। दौराने विवेचना नक्शा मौका प्र0पी० 11 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रथम सूचना प्र0पी० 12 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। जप्ती पत्रक प्र0पी० 8 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। कथन विजय मेहरा गोल्डन मेहरा, योगेश, परिसया मेहरा, पार्वतीबाई राजा मोरले के उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे उसने उसके मन से कुछ भी लेख नहीं किया गया था। यह गवाह विवेचना अधिकारी है। घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। इस प्रकरण में फरियादी विजय की साक्ष्य पेश नहीं की गई है वह अदम पता है। घटना के स्वतंत्र गवाहों ने घटना का समर्थन नहीं किया है। ऐसी परिस्थिति में इस गवाह के द्वारा की गई कार्यवाही महत्वहीन हो जाती है जो कि घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं करती है।
- 12— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि सह—अभियुक्तगण ने प्रार्थी विजय की उपहित कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में आपने तथा सह अभियुक्तगण ने प्रार्थी विजय को स्वेच्छया घोर उपहित कारित की। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं0 1 का निराकरण ''अप्रमाणित'' रूप से किया जाता है।
- 13— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्धारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि सहअभियुक्तगण ने प्रार्थी विजय की उपहित कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में आपने तथा सह अभियुक्तगण ने प्रार्थी विजय को स्वेच्छया घोर उपहित कारित की। इस प्रकार भादं०वि० की धारा—325, 34 का आरोप प्रमाणित न पाये जाने से उक्त अपराध में अभियुक्तगण संतोष हिर रावत को दोषमुक्त किया जाता है।
- 14— प्रकरण में धारा 313 द0प्र0सं0 के पूर्व प्रस्तुत आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते है एवं अभियुक्तगण का धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया

जावे।

15— प्रकरण में जप्त शुदा सम्पत्ति एक बांस की लकड़ी मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का आदेश मान्य किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म0प्र0

(धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म0प्र0